रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3309] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2017/अग्रहायण 8, 1939
No. 3309] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2017/AGRAHAYANA 8, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2017

का.आ. 3775(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1968(अ), तारीख 03 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, अधिसूचना को अंर्तविष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को 03 जून, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, पार्वती-अर्गा पक्षी अभयारण्य (गोंडा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किमी दूर है) तरबगंज तहसील में अवस्थित है; यह अभयारण्य महत्वपूर्ण जलीय पक्षी प्रजातियों के लिए जाना जाता है और यहां सर्दियों के दौरान में लगभग 30000 प्रकार की पक्षी प्रजातियों में से 30 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। भारतीय मूल के कई क्षेत्रीय पक्षी पूरे वर्ष में यहां आते जाते रहते हैं; अभयारण्य में सारस, सारस और दुर्लभ ब्लैक नेकिंग सारस का प्रजनन दर्ज किया गया है और और इस अभयारण्य की जैव विविधता के संबंध में, इस क्षेत्र के वनस्पतियों को इसके बाहर अर्ध शुष्क वनस्पति का प्रतिनिधित्व किया गया है, और उत्तर भारत के मैदानों में झील के एक विशिष्ट जलीय वनस्पति है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और लगभग 10.84 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।

और, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य यहां पक्षिओं आबादी है जिसमें लगभग 35 प्रजातियों के पक्षी सम्मिलित हैं और निवासी करते है। सर्दियों के दौरान पक्षी हिमालय में तिब्बत, चीन, यूरोप और साइबेरिया से पलायन करते हैं। इन पक्षियों में से कुछ 5000 किलोमीटर से ऊपर और 8500 मीटर ऊँची ऊंचाई पर उड़ते हैं। पक्षी अभयारण्य के कुछ महत्वपूर्ण पक्षी हैं जैसे ग्रेट क्रास्टेड ग्रेबे (*पोडिसिप्स क्रिस्टटस*), लिटिल ग्रेबे (*पोडिसेप्स रफिकोलिस*), बड़ा जलकौआ (*फलाकोरोकैरेक्स कार्बो*),

भारतीय झबरा (*फालाकोकोरैक्स फ्यूस्किकोलिस*), छोटा जलकौवा (*फालाकोकोरैक्स नाइजर*), बांकर (*अनिंगा रूफा*), ग्रे बगुला (*अरदे सिनेरिया*), बैंगनी बगुला (*अरदेया परपुरेया*), छोटे हरा बगुला (*अर्देसिया स्ट्राटस*), तालाब बगुला (*आर्डेसिया ग्रेय*), कैटल सफ़ेद बगुला (*बुबुलस इबीस*), बड़े सफ़ेद बगुला (*अर्डा सिबा*), छोटे सफ़ेद बगुला (*एग्रीटा इंटरमीडिया*), लिटिल सफ़ेद बगुला (*एग्रेट्टा गेर्जेट्टा*), रात्री बगुला (*निक्टिकोरैक्स निक्टिकोरैक्स*), लिटिल जुनबगला (*इक्सोब्रीचस मिनिट्स*), चेशुनूट जुनबगला (*इक्सोब्रीचस सिन्नामियस*), पीला जुनबगला (*इक्सोब्रिकस सिनेसिस*), काला जुनबगला (*इक्सोब्रीचस फ्लैविकोलिस*), पेंटेड सारस (*मायकटेरिया ल्यूकोसेफाला*), ओपन बिलड सारस (*एनसटोमस औस्किटेनस*), सफेद गर्दन सारस (*सिकोनिया एपिसकोपस*), सफेद सारस (सिकोनिया सिकोनिया), काला सारस (सिकोनिया निग्रा), काला गर्दन सारस (*एफिपोर हाइनचस एसियाटिकस*), सफेद बुज्जा (*थ्रेसकिओरनिस एथियोपिका*), काला बुज्जा (*सेउडिबिस पैपिएलोसा*), चमचा चोंच (*पैलेटेलिया ल्यूकोरोडिया*), ग्रे लेग हंस (अंसेर अंसेर), बार हेडेड हंस (*बार हेडेड गूस*), लेजर विस्टलिंग टील (*डेंड्रॉसीन जावानिका*), ब्राह्मणी बत्तख (*टेडरोमा फेरगिनी*), सीखपरऔर (*टेडरना फेरगिनी*), कॉमन टील (*अनास क्रेक्का*), स्पॉट बिलड बत्तख (*एनास पॉसिलोरिन्चा*), मैलार्ड (*अनास प्लैटिहिन्कोस*) , गदवाल (*अनास स्ट्रेपेरा)*, कबूतर (*अनास पेनेलोप*), गर्गनी (*अनास गुर्ज्युदुला*), तिदारी (*अनास क्लीपेता*), रेड क्रस्टेड पोचार्ड (*नेट्टा रूफीना*), कॉमन पोचार्ड (*अथया फ़ेरिना*), व्हाईट आईड पॉचार्ड (*आथये नीरोका*), टफ़ेड बत्तख (*अथया फुलीगुला*), कॉटन टील (*नेटटापस कॉरोमेन्डेलियनस*), कॉम्ब बत्तख (*सर्किडीओर्निस मेलेनोटोस*) कपासी (*एलानस कैर्यूलेस*), ब्लैक क्रास्टेड बाजा (*एवेसेडिया लीफॉट्स*), ब्लैक काइट (*मिल्वस मायग्रांन्स माइग्रेशन*), पारिआ काइट (*मिल्वस माइग्रेंस गोविंदा*), ब्राह्मणि काइट (*हलिआस्तुर इंडस*), गोशक (*एसिपीटर जेंटिलिस*), स्पैरो हॉक (*एसिपिटर निसस मेलसचीस्टास*), व्हाइट आइड बैजर्ड (*बस्तरूर टीसा*), तावी उक़ाब (*अक्विला रैपैक विंधियाना*), ग्रेट स्पॉट उक़ाब (*अउला क्लंगा*), लेजर स्पिटेड उक़ाब (*अक्विला पोमेरिना*), काला उक़ाब (*आईकटिनासेट्स मिलिएन्सिस*), पल्सा मत्स्य उक़ाब (*हेलिऐट्स ल्यूकोरीफस*), ग्रे हेडेड मत्स्य उक़ाब (*इक्टिओफगा इच्थेयेटस*), इंडियन ग्रिफ़ोन (*गिप्प्स फुलुस*), हेन हेरियर (*सर्कस साइनास*), पेड हेरियर (*सर्कस मेलेनोल्यूकोस*), मार्श हैरियर (*सर्कस एरुगिनोसस*) आदि, हैं।

और, पक्षी अभयारण्य के महत्वपूर्ण जलीय वनस्पति हैं: पटेरा कल्लेल (*टाइफा लैटिफ़ोलिया*), पाटेरा (*टाइफा एग्गास्टिफ़ोलिया*), बान रीड (*स्पर्गनियम फ्लक्टन्स*), पॉण्ड विड (*पोटा मोगेटन*) (*पोटागाटटन नाटन*स), पॉण्ड विड (*पोटामागेटन नोडसस*), पॉण्ड विड (*पोटमागेटन पेक्टिनाटस*), पॉण्ड विड (*पोंतामागेटन एम्पलीफोलिन*), पॉण्ड विड (*पोटामगेगोन क्रिस्पस*), पॉण्ड विड (*पोटामागेटन फार्मेमेरीस वर्बोरेलिस*), पॉण्ड विड (*पोटामागेटन कैप्लाइलेसस*), होर्नड पॉण्ड विड (*जलीहेशेलिया पालस्ट्रीस*), जंगली पॉण्ड विड (*नजस फीक्सलाइलिसिस*), जंगली पॉण्ड विड (*नजस माइनर*), जंगली पॉण्ड विड (*नजस ग्रैमीनी*), लिमोनोफिटन (*लिमोनोफिटन एक्स्ट्यूसिफोलियम*), एरो हेड डक पोटेटो (*सागिटतिरिया कैनेटा*), एरो हेड डक पोटेटो (*सागिटिरिया गिगायनेंसिस*), एरो हेड डक पोटेटो (*सागिटतिरिया ब्रेविरओस्ट्रार*), एरो हेड डक पोटेटो (*सागिटतिरिया रिगिडा*), एरो हेड डक पोटेटो (*सागिटतिरिया ग्रैमीना*), एरो हेड डक पोटेटो (*सागिटतिरिया क्रिस्टाटा*), वाटर प्लांटैन (*अलिसमा प्लांटगोवाक्टिका*), वाटर प्लांटैन (*अलिसमा ग्रामीनिन*), वाइल्ड सेलरी (*वालिसनरिया अमेरिका*), टेप ग्रास (*वेलेंसियारिया स्पिरालिस*), फ्राग्बिट (*लिम्नोबियम स्पॉन्जिया*), हाइड्रिला (*हाइड्रिला वरटिसिलाटा*), बाहमा ग्रस (*सिनोदोन डैटीयलॉन*), गीगा ग्रास (*दिचंथियियम एन्युलॅटम*), रीड ग्रास (*फ्राग्मिटीस मैक्सिमस*), रीड ग्रास (*फ्रेगमिटी कार्का*), वाइल्ड राइस (ज़िज़ियाना एक्वाटिक), वाइल्ड राइस (*ओरीज़ा रूफिपोगोन*), कांस (*सचरम स्पॉटेनियम*), लव ग्रास (*एरागेस्टिक हायनोइड*), फॉक्स टेल (अल्पेस्कुरस एक्वालिस), स्लोफी ग्रास (*बेकमेनिया सिज़िग्चने*) हैं।

और, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर क्षेत्र तक, सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य के चारों ओर एक किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1.**पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर तक होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य की सीमा से 37.5 वर्ग किमी तक है।

(2) पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है |

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र, उसकी सीमा के ब्यौरों तथा अक्षांश और देशांतर सहित **उपाबंध II और उपाबंध IIक** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III और उपाबंध IIIक** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 5 ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** में दी गई है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

IndiaCode

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग

के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, काष्ठ गृह;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की संसूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि की परिशुद्धि में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनरोपण और प्राकृतिक वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, सरकार द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । बशर्ते, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन

महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर विरासत संरक्षण योजना उनके संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी तथा आंचलिक महायोजना के भाग रुप में होंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगाः-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; और अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप दी जा सकेगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगाः—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 343(अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जा सकेगी।

(11) **यानीय यातायात: -** परिवहन का यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **यानीय प्रदूषण:-** यानीय प्रदूषण लागू विधियों के अनुसार का रोकथाम और नियंत्रण के अनुपालन में किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन, उदाहरण के लिए सी एन जी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगाः-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव की एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खन्न, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।

3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	मुख्य तापीय और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं: तथापि, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुरूपता में होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी । ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
10.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
11.	वायु और यानिय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

15.	विदेशी प्रजातियों के लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	भू-जल का निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे; (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।
18.	बिजली के तारों का निर्माण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	बायोडिग्रेडेबल सामग्री का पुनःचक्रण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	विद्युत लाइनों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । वन्यजीवों के निर्बाध संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापन अपनी संपत्तियों में कांटेदार तार नहीं लगाएंगे और कोई और कोई भी बाड एक मीटर से अधिक ऊंची नहीं होगी। इस अनुबंध का अनुपालन न करने वाली विद्यमान बाड़ को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
23.	कृषि प्रणालियों में भारी परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो में देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
27.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	ट्रेकिंग और कैपिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए जब तक 1 से 10 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	समुदाय आरक्षित प्रकृति।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
33.	चल रहे कृषि प्रथाओं, वृक्षारोपण और अन्य वनों की गतिविधि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

34.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
37.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
39.	बागवानी और जड़ी बूटी का बागान।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के तीन महीनों के भीतर अंतिम अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्न शामिल है, अर्थात्:-

1.	जिला कलेक्टर, गोंडा	अध्यक्ष;
2.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ	सदस्य;
3.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है गैर सरकारी संगठन का, भारत सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
5.	पारिस्थितिकी विशेषज्ञ	सदस्य;
6.	जैव विविधता विशेषज्ञ	सदस्य;
7.	लोक निर्माण विभाग, गोंडा का प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	सिंचाई विभाग, गोंडा का प्रतिनिधि	सदस्य;
9.	मंडल वन अधिकारी, सोहेल्वा वन्यजीव प्रभाग, बलरामपुर	सदस्य सचिव ।

6. निर्देश निबंधन -

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन के लिए होगा तक और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय: इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. सुप्रीम कोर्ट आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/03/2016-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा का विवरण

पार्वती झील की सीमाएं

शीर्षक	विवरण
उत्तरी	राजस्व ग्राम वजीरगंज, पूरे दौधु और कोठा की दक्षिणी सीमा
पूर्वी	राजस्व ग्राम बहादुरा और पार्वती एफ की पश्चिमी सीमा
दक्षिणी	राजस्व ग्राम हरीहरपुर, शोभागपुर और पारसपुर की सीमा
पश्चिमी	राजस्व ग्राम चंदापुर की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा और राजस्व ग्राम वजीरगंज से पीडब्ल्यूडी सड़क तक

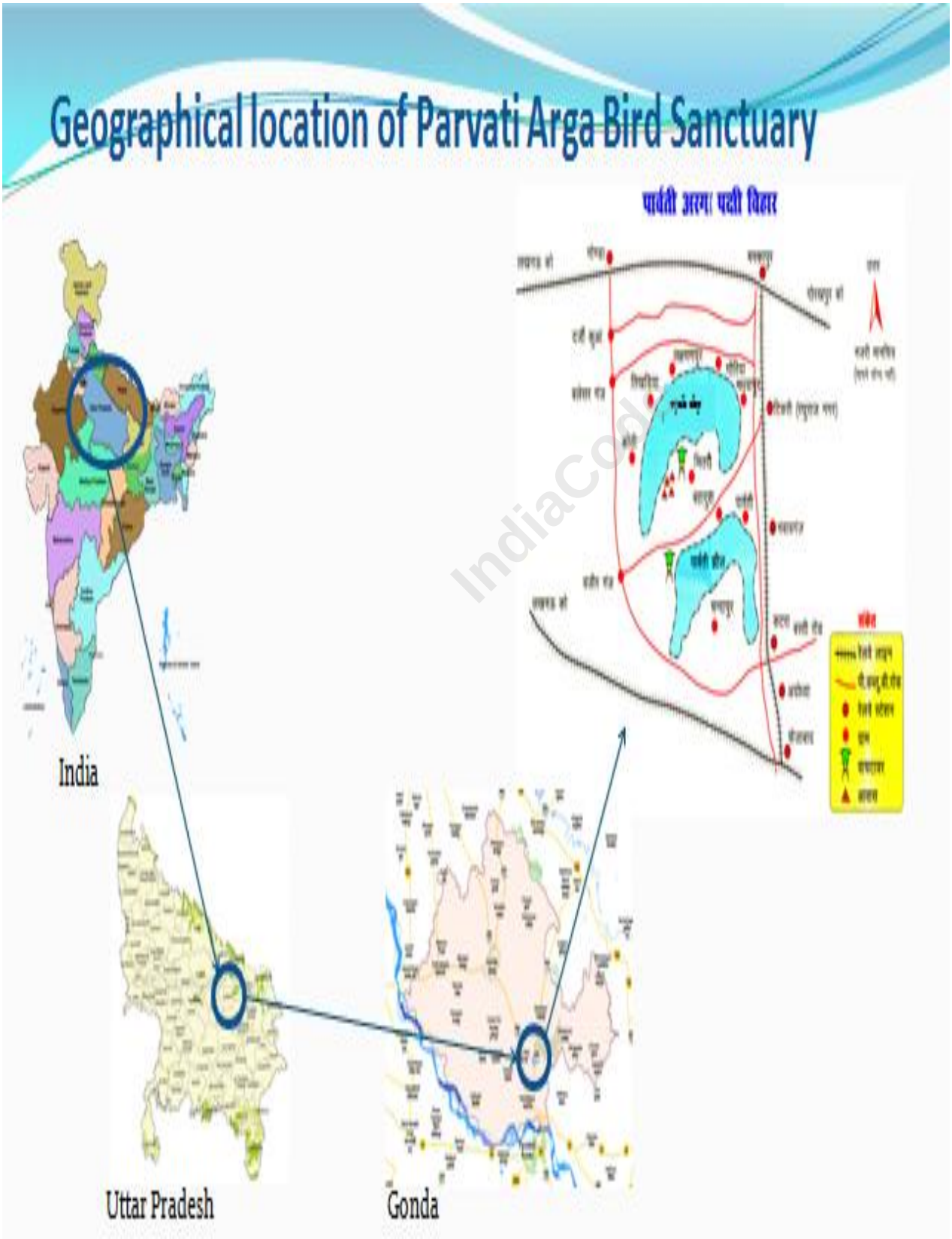
अर्गा झील की सीमाएं

शीर्षक	विवरण
उत्तरी	राजस्व ग्राम तिखादिया और लक्ष्मनपुर की दक्षिणी सीमा
पूर्वी	राजस्व ग्राम गौरिया और माधवपुर की पश्चिमी सीमा
दक्षिणी	राजस्व ग्राम बहादुरा की उत्तरी सीमा
पश्चिमी	राजस्व ग्राम कोथा की पूर्वी सीमा

IndiaCode

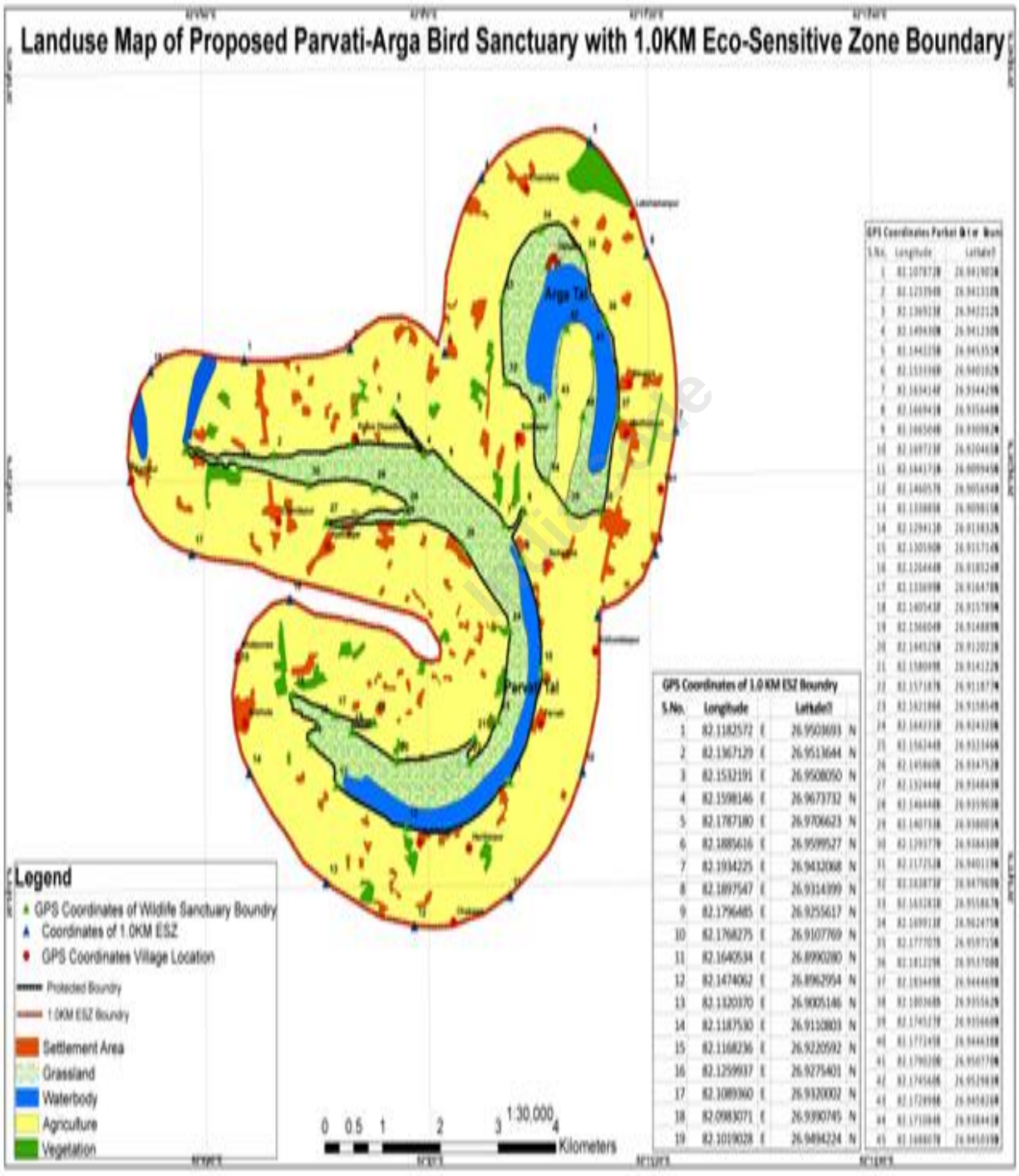
उपाबंध II-क

पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य के भौगोलिक अवस्थान का मानचित्र



उपाबंध II-ख

भारत के सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III

सारणी क: संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

संरक्षित क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	26°56'30.8458" उ	082°06'28.3421" पू
2.	26°56'28.4284" उ	082°08'57.9494" पू
3.	26°56'03.9462" उ	082°09'48.2929" पू
4.	26°55'13.6747" उ	082°10'11.0053" पू
5.	26°54'35.8020" उ	082°09'51.0185" पू
6.	26°54'20.5009" उ	082°08'45.8063" पू
7.	26°55'06.6889" उ	082°07'35.2016" पू
8.	26°54'50.8396" उ	082°09'28.9768" पू
9.	26°55'56.4474" उ	082°09'22.4795" पू
10.	26°56'16.8054" `उ	082°08'26.6410" पू
11.	26°56'52.6888" उ	082°09'49.9453" पू
12.	26°57'44.9132" उ	082°10'11.6893" पू
13.	26°57'13.3492" उ	082°10'52.4262" पू
14.	26°56'08.0250" उ	082°10'49.3266" पू
15.	26°56'08.3771" उ	082°10'28.2997" पू
16.	26°56'40.6975" उ	082°10'38.0824" पू
17.	26°57'10.7413" उ	082°10'28.4178" पू
18.	26°56'18.3883" उ	082°10'15.9042" पू

उपाबंध III-क

सारणी ख: संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	26°57'01.3295" उ	082°07'05.7259" पू
2.	26°57'04.9118" उ	082°08'12.1664" पू
3.	26°57'02.8980" उ	082°09'11.5888" पू
4.	26°58'02.5435" उ	082°09'35.3326" पू
5.	26°58'14.3843" उ	082°10'43.3848" पू
6.	26°57'35.8297" उ	082°11'18.8218" पू
7.	26°56'35.5445" उ	082°11'36.3210" पू
8.	26°55'53.1836" उ	082°11'23.1169" पू

IndiaCode

9.	26°55'32.0221" उ	082°10'46.7346" पू
10.	26°54'38.7968" उ	082°10'36.5790" पू
11.	26°53'56.5008" उ	082°09'50.5922" पू
12.	26°53'46.6634" उ	082°08'50.6623" पू
13.	26°54'01.8526" उ	082°07'55.3332" पू
14.	26°54'39.8891" उ	082°07'07.5108" पू
15.	26°55'19.4131" उ	082°07'00.5650" पू
16.	26°55'39.1444" उ	082°07'33.5773" पू
17.	26°55'55.2007" उ	082°06'32.1696" पू
18.	26°56'20.6682" उ	082°05'53.9056" पू
19.	26°56'57.9206" उ	082°06'06.8501" पू

उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. स.	**नाम**	**अक्षांश**	**देशांतर**
1.	कादीपुर	26°56'17.8044" उ	082°05'45.6511" पू
2.	भटपुरवा	26°55'20.6422" उ	082°06'53.6828" पू
3.	पूरे धाधू	26°56'33.9601" उ	082°08'14.9399" पू
4.	चंदापुर	26°56'05.5802" उ	082°07'26.8190" पू
5.	अंभुला	26°54'56.8213" उ	082°07'05.2118" पू
6.	सुभागपुर	26°54'15.0440" उ	082°08'54.3304" पू
7.	छाकवन	26°53'42.4792" उ	082°09'20.3123" पू
8.	अजबनगर	26°55'57.2624" उ	082°07'57.6365" पू
9.	माधवपुर	26°56'33.8107" उ	082°11'05.5802" पू
10.	तिखादिया	26°57'34.4898" उ	082°10'20.7167" पू
11.	कोथापुर	26°56'33.0850" उ	082°09'57.5600" पू
12.	हरिहरपुर	26°54'12.8520" उ	082°09'25.1975" पू
13.	चंदहा	26°57'58.3920" उ	082°10'03.5944" पू
14.	बहादुरा	26°55'49.8101" उ	082°10'14.5567" पू
15.	पार्वती	26°54'54.8384" उ	082°10'10.6198" पू
16.	लक्ष्मनपुर	26°57'49.0921" उ	082°11'09.8750" पू
17.	गौरिया	26°56'50.8578" उ	082°11'07.5365" पू
18.	किशुनदासपुर	26°55'19.7422" उ	082°10'45.2122" पू
19.	तिकरी	26°56'14.9010" उ	082°11'26.8163" पू

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2017

S.O. 3775(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1968 (E), dated the 03rd June, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS**,** copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 03rd June, 2016;

AND WHEAREAS**,** no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS**,** the Parvati-Arga Bird Sanctuary (about 40 km from Gonda District Headquarter) at Tarabganj Tahsil; is important and known for aquatic avifauna where about 30000 birds belonging to about 30 species have been listed in this Sanctuary during winters. A number of territorial birds of Indian origin stay here the year round; breeding of Saras, Crane and the Rare Black Necked Stork have been recorded in the Sanctuary and as regards biodiversity of this Sanctuary, the flora of this area is represented by Semi arid vegetation outside it, and a typical aquatic vegetation of the lake in plains of North India. The Parvati Arga Bird Sanctuary situated in Gonda District of Uttar Pradesh is spread over an area of about 10.84 sq km.

AND WHEREAS, The Parvati Arga Bird Sanctuary is an avian population of the bird sanctuary here comprises a mix of approximately 35 species of resident as well as migratory birds. The birds migrate across Himalayas from Tibet, China, Europe and Siberia during winters. Some of these birds fly over 5000 km and above 8500 meters high to reach here. Some of the important Avi-Fauna of the Bird Sanctuary are Great Crested Grebe(*Podiceps cristatus*), Little Grebe(*Podiceps ruficolis*), Large Cormorant (*Phalacrocorax carbo*), Indian Shag (*Phalacrocorax fuscicollis*), Little Cormorant (*Phalacrocorax niger*), Darter(*Anhinga rufa*), Grey Heron (*Ardea cinerea*), Purple Heron (*Ardea purpurea*), Little Green Heron (*Ardecia striatus*), Pond Heron (*Ardecia grayii*), Cattle Egret (*Bubulus ibis*), Large Egret (*Ardea siba*), Smaller Egret (*Egretta intermedia*), Little Egret (*Egretta garzetta*), Night Heron (*Nyctcorex nycticorax*), Little Bittern (*Ixobrychus minutes*), Cheshunut Bittern (*Ixobrychus cinnamomeus*), Yellow Bittern (*Ixobrychus sinesis*), Black Bittern (*Ixobrychus flavicolis*), Painted Stork (*Mycteria leucocephala*), Open billed Stork (*Anastomus oscitans*), White necked Stork (*Ciconia episcopus*), White Stork (*Ciconia ciconia*),

Black Stork (*Ciconia nigra*), Black necked Stork (*Ephippor hynchus asiaticus*), White Ibis (*Threskiornis aethiopica*), Black Ibis (*Pseudibis papielosa*), Spoon Bill (*Platalea leucorodia*), Grey Lag Goose (*Anser anser*), Bar headed Goose (*Bar headed Goose*), Lesser Whistling Teal (*Dendrocygna javanica*), Brahminy Duck (*Tadorma ferruginea*), Pintail (*Tadorna ferruginea*), Common Teal (*Anas crecca*), Spot billed Duck (*Anas poecilorhyncha*), Mallard (*Anas platyrhynchos*), Gadwall (*Anas strepera*), Pigeon (*Anas Penelope*), Garganey (*Anas guerguedula*), Shoveller (*Anas clypeata*), Red crested Pochard (*Netta rufina*), Common Pochard (*Aythya farina*), White Eyed Pochard (*Aythye Nyroca*), Tuffed Duck(*Aythya fuligula*), Cotton Teal (*Nettapus coromandelianus*), Comb Duck (*Sarkidiornis melanotos*), Black Winged Kite (*Elanus caeruleus*), Black Crested Baza (*Avicedia leuphotes*), Black Kite (*Milvus migrans migrans*), Pariah Kite (*Milvus migrans govinda*), Brahminy Kite (*Haliastur Indus*), Goshawk (*Accipiter gentilis*), Sparrow Hawk (*Accipiter nisus melaschistas*), White Eyed Buzzard (*Butastur teesa*), Tawny Eagle (*Aquila rapax vindhiana*), Great Spotted Eagle (*Auila clanga*), Lesser Spotted Eagle (*Aquila pomarina*), Black Eagle(*Ictinaetus malayensis*), Palla's Fishing Eagle (*Haliaeetus leucoryphus*), Grey Headed Fishing Eagle (*Icthyophaga ichthyaetus*), Indian Griffon (*Gyps fulvus*), Hen Harrier (*Circus cyaneus*), Pied Harrier (*Circus melanoleucos*), Marsh Harrier (*Circus aeruginosus*) etc.

AND WHEREAS, the important Aquatic Flora of the bird sanctuary are: Patera Cultail (*Typha latifolia*), Patera (*Typha Angustifolia*), Ban Reed (*Spargnium fluctans*), Pond Weed (*Pota mogetan*) (*Potamageton natans*), Pond Weed *(Potamageton nodusus)*, Pond Weed (*Potmageton pectinatus*), Pond Weed (*Pontamageton amplifolins)*, Pond weed *(Potamagegon Crispus)*, Pond Weed (*Potamageton filiformis varborealis)*, Pond Weed (*Potamageton Caplillaceas)*, Horned Pond Weed (*Zalihichellia palustris)*, Bushy pond weed (*Najas fexlilisis)*, Bushy Pond Weed (*Najas minor)*, Bushy Pond Weed (*Najas graminea).* Limnophyton (*Limnophyton obtusifolium),* Arrow head duck Potato (*Sagittiaria caneata***),** Arrow head duck Potato (*Sagittiaria gigayanensis*), Arrow head duck Potato(*Sagittiaria brevirostra*), Arrow head duck Potato (*Sagittiaria rigida*), Arrow head duck Potato(*Sagittiaria graminea*), Arrow head duck Potato (*Sagittiaria cristata*), Water Plantain (*Alisma plantagoaquatica*), Water Plantain (*Alisma gramineum*), Wild Celery (*Vallisneria Americana*), Tape Grass (*Vallisneria spiralis*), Frogbit (*Limnobium spongia*), Hydrilla (*Hydrilla verticillata*), Bahma Grass (*Cynodon dactylon*), Geega Grass (*Dichanthium annulatum*), Reed Grass (*Phragmitis maximus*), Reed Grass (*Phragmitis karka*), Wild Rice (*Zizania aquatic*), Wild Rice (*Oryza rufipogon*), Kans (*Saccharum spontaneum*), Love Grass (*Eragrastic hypnoides*), Fox Tail (*Alopecurus aequalis*), Sloughi Grass (*Beckmannia syzigachne*),

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area up to **one kilometer** all around the boundary of the protected area of Parvati Arga bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to one kilometre all around the boundary of the protected area of Parvati Arga bird Sanctuary in the state of Uttar Pradesh (as shown in the map annexed to the notification as Annexure A), as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely.

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone shall be an extent upto 1 kilometer all around the boundary of Parvati Arga Bird Sanctuary and the area of the Eco-sensitive zone is 37.5 sq kms from the boundary of the Parvati Arga Bird Sanctuary in Gonda District of Uttar Pradesh State.

(2) The boundary description of Parvati Arga Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II and Annexure-II A.**

(4) The Geo-coordinates of Parvati Arga Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-III and Annexure-III-A.**

(5) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of the final notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:-

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism -** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Parvati Arga Bird Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of final notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 .

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder .

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the water (Prevention control of pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular pollution:** -Prevention and control of vehicular pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with applicable laws and effort shall be made for use of cleaner fuel for example Compressed natural gas, etc.

(13) **Plastic waste management:-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.-

(14) Construction and demolition waste management:- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) Industrial units.- (i) no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in the final notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **List of activities Prohibited, Regulated and Promoted within the Eco-sensitive Zone :-**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated activities		
8.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential

		use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
11.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate companies	Regulated
13.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
14.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Erection of electric cables	Regulated under applicable laws.
19.	Recycling of bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
20.	Installation of electric lines.	Regulated under applicable laws. Promote underground cabling.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.

25.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
27.	Collection of non-timber forest products	Regulated under applicable laws.
28.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
29.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 degree and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
30.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
32.	Community Reserve Nature	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
33.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
40.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Environment awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government within three months of this Notification, constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the final notification, comprising of the following, namely:-

1.	District Collector, Gonda	Chairman;
2.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Uttar Pradesh for a period of one year.	Member
3.	One representative of non-Governmental Organization working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of one year	Member
4.	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board	Member
5.	Expert Ecology	Member
6.	Expert Biodiversity	Member
7.	Representative of Public Works Department, Gonda	Member
8.	Representative of Irrigation Department, Gonda	Member
9.	Divisional Forest Officer, Sohelwa WL Division, Balrampur	Member Secretary

6. **Terms of reference:** (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector (s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of the final notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/03/2016-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

Boundaries of Parvati Lake

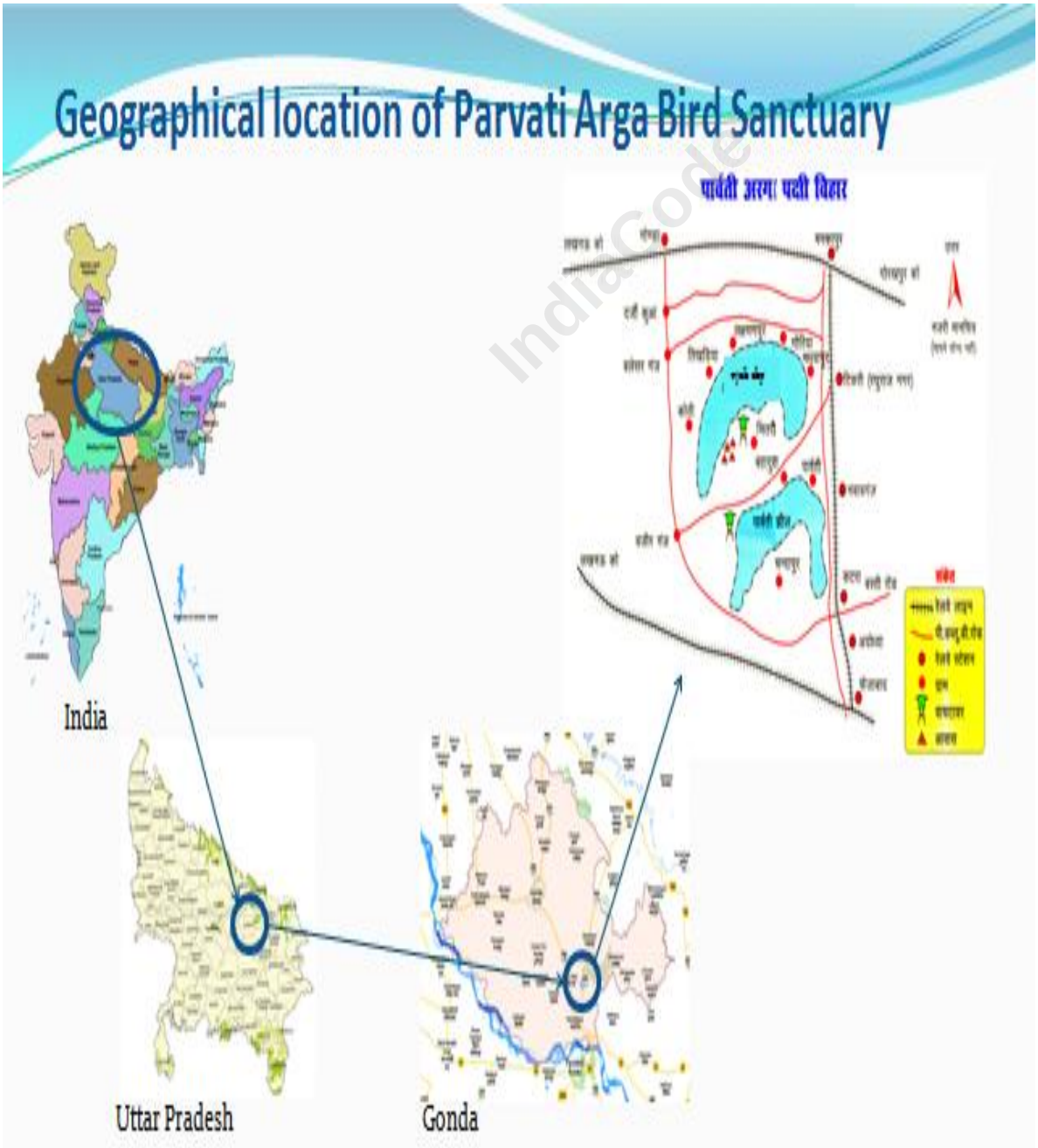
Legend	Description
Northern	Southern Boundary of Revenue Village Vajeerganj, Poore Daadhu, and Kotha
Eastern	Western Boundary of Revenue Village Bahadura and Parvati F
Southern	Northern Boundary of Revenue Village Hariharpur, Shobhagpur and Paraspur.
Western	Northern, Eastern and Southern Boundary of Revenue Village Chandapur and from Revenue Village Vajeerganj to PWD Road.

Boundaries of Arga Lake

Legend	Description
Northern	Southern Boundary of Revenue Village Tikhadia and Laxmanpur
Eastern	Western Boundary of Revenue Village Gauriya and Madhwapur
Southern	Northern Boundary of Revenue Village Bahadura
Western	Eastern Boundary of Revenue Village Kotha

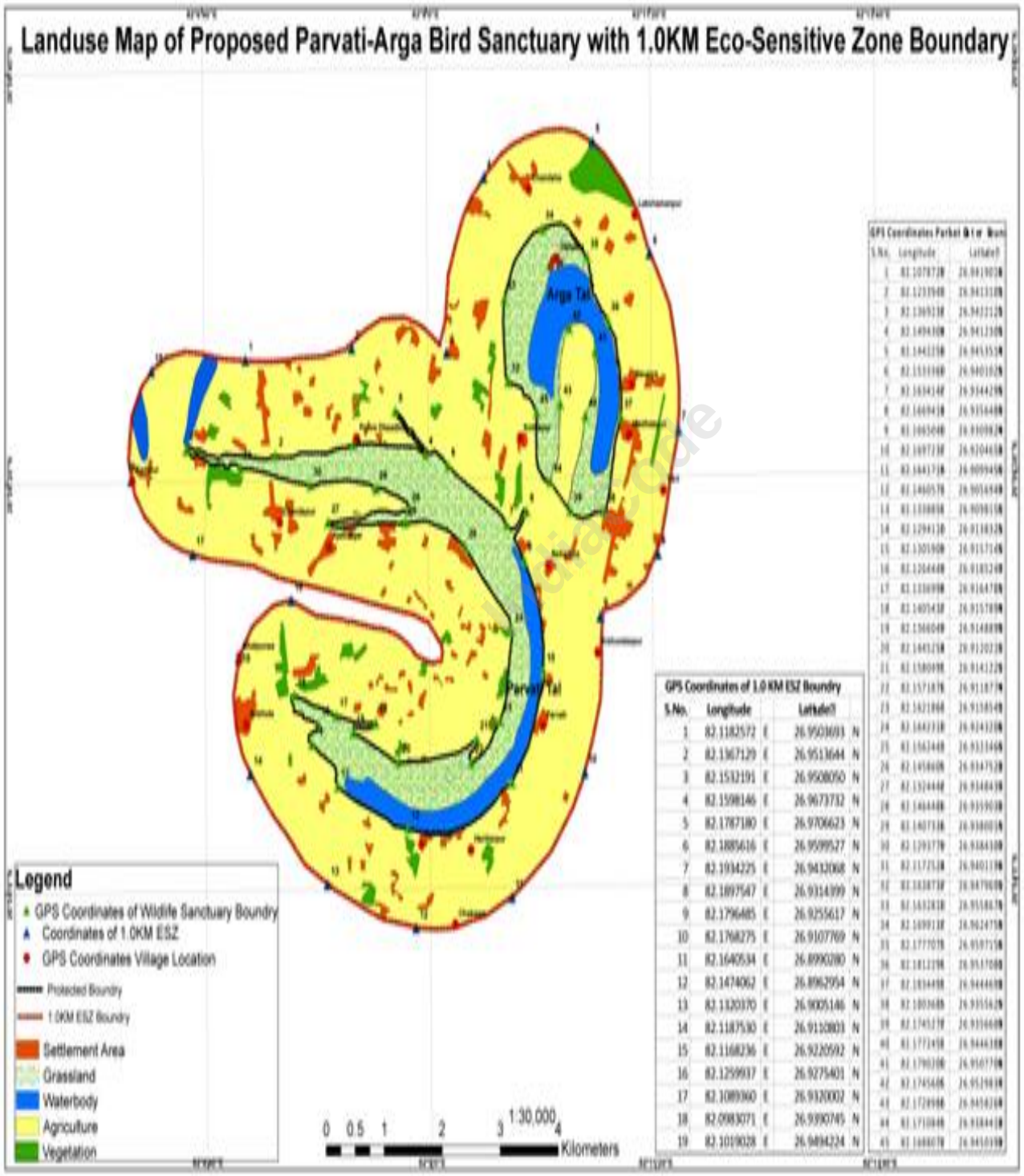
ANNEXURE- II-A

MAP OF Geographical location of Parvati Arga Bird Sanctuary



ANNEXURE- II B

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE HASTINAPUR BIRD SANCTUARYALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations PA and ESZ GPS Co-ordinates of Protected Area:-

Sl. No.	Latitude	Longitude
1.	26°56'30.8458" N	082°06'28.3421" E
2.	26°56'28.4284" N	082°08'57.9494" E
3.	26°56'03.9462" N	082°09'48.2929" E
4.	26°55'13.6747" N	082°10'11.0053" E
5.	26°54'35.8020" N	082°09'51.0185" E
6.	26°54'20.5009" N	082°08'45.8063" E
7.	26°55'06.6889" N	082°07'35.2016" E
8.	26°54'50.8396" N	082°09'28.9768" E
9.	26°55'56.4474" N	082°09'22.4795" E
10.	26°56'16.8054" `N	082°08'26.6410" E
11.	26°56'52.6888" N	082°09'49.9453" E
12.	26°57'44.9132" N	082°10'11.6893" E
13.	26°57'13.3492" N	082°10'52.4262" E
14.	26°56'08.0250" N	082°10'49.3266" E
15.	26°56'08.3771" N	082°10'28.2997" E
16.	26°56'40.6975" N	082°10'38.0824" E
17.	26°57'10.7413" N	082°10'28.4178" E
18.	26°56'18.3883" N	082°10'15.9042" E

IndiaCode

ANNEXURE-III-A

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations PA and ESZ GPS Co-ordinates of Eco-Sensitive Zone Area:-

Sl. No.	Latitude	Longitude
1.	26°57'01.3295" N	082°07'05.7259" E
2.	26°57'04.9118" N	082°08'12.1664" E
3.	26°57'02.8980" N	082°09'11.5888" E
4.	26°58'02.5435" N	082°09'35.3326" E
5.	26°58'14.3843" N	082°10'43.3848" E
6.	26°57'35.8297" N	082°11'18.8218" E
7.	26°56'35.5445" N	082°11'36.3210" E
8.	26°55'53.1836" N	082°11'23.1169" E
9.	26°55'32.0221" N	082°10'46.7346" E
10.	26°54'38.7968" N	082°10'36.5790" E
11.	26°53'56.5008" N	082°09'50.5922" E
12.	26°53'46.6634" N	082°08'50.6623" E
13.	26°54'01.8526" N	082°07'55.3332" E
14.	26°54'39.8891" N	082°07'07.5108" E
15.	26°55'19.4131" N	082°07'00.5650" E
16.	26°55'39.1444" N	082°07'33.5773" E
17.	26°55'55.2007" N	082°06'32.1696" E
18.	26°56'20.6682" N	082°05'53.9056" E
19.	26°56'57.9206" N	082°06'06.8501" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES.

Sl. No.	Name	Latitude	Longitude
1.	Kadipur	26°56'17.8044" N	082°05'45.6511" E
2.	Bhatpurwa	26°55'20.6422" N	082°06'53.6828" E
3.	Poore Dhaadhoo	26°56'33.9601" N	082°08'14.9399" E
4.	Chandapur	26°56'05.5802" N	082°07'26.8190" E
5.	Anbhula	26°54'56.8213" N	082°07'05.2118" E
6.	Subhagpur	26°54'15.0440" N	082°08'54.3304" E
7.	Chakwan	26°53'42.4792" N	082°09'20.3123" E
8.	Ajabnagar	26°55'57.2624" N	082°07'57.6365" E
9.	Madhwapur	26°56'33.8107" N	082°11'05.5802" E
10.	Tikhadia	26°57'34.4898" N	082°10'20.7167" E
11.	Kothapur	26°56'33.0850" N	082°09'57.5600" E
12.	Hariharpur	26°54'12.8520" N	082°09'25.1975" E
13.	Chandaha	26°57'58.3920" N	082°10'03.5944" E
14.	Bahadura	26°55'49.8101" N	082°10'14.5567" E
15.	Parvati	26°54'54.8384" N	082°10'10.6198" E
16.	Laxmanpur	26°57'49.0921" N	082°11'09.8750" E
17.	Gauriya	26°56'50.8578" N	082°11'07.5365" E
18.	Kishundaspur	26°55'19.7422" N	082°10'45.2122" E
19.	Tikri	26°56'14.9010" N	082°11'26.8163" E

IndiaCode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.30 12:06:53 +05'30'